न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 116/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. टेकचन्द पिता किशनलाल जी लोहार, निवासी गांव सियालपुरा, लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती धुली बाई बेवा पिता किशनलाल जी लोहार, निवासी गांव सियालपुरा, लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. शंकर पिता भैरूलाल जी लोहार, निवासी गांव सियालपुरा, लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोपाल पिता शंकरलाल जी लोहार, निवासी गांव सियालपुरा, लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. कमला पिता परथा जी लोहार (मृतक) के बजाय :–

3/1. श्रीमती मीरा पत्नी स्वर्गीय कमला जी लौहार, निवासी बेदला, मालियों के मंदिर के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. सुश्री सुनीता पुत्री स्वर्गीय कमला जी लौहार, निवासी बेदला, मालियों के मंदिर के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. सुश्री रूचिका पुत्री स्वर्गीय कमला जी लौहार, निवासी बेदला, मालियों के मंदिर के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3/4. सुश्री रक्षिका पुत्री स्वर्गीय कमला जी लौहार, निवासी बेदला, मालियों के मंदिर के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3/5. चेतन पिता स्वर्गीय कमला जी लौहार, अवयस्क जरिये बविलायत माता श्रीमती मीरा पत्नी स्वर्गीय कमला जी लौहार, निवासी बेदला, मालियों के मंदिर के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
20.10.2015, प्रकरण संख्या 137/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री जी. एस. मेहता अभिभाषक रे.सं. 1, 2

———:::———

निर्णय दिनांक 09—10—2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद कब्जेयाबी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सियालपुरा की आराजी नंबर 5880 रकबा 0.0350 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वादी ने अपनी जमीन पर पत्थर की गिट्टी व ईटें डाल रखी है। वादी दिनांक 18—02—1998 को जब ड्यूटी पर गया तो उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबरन कब्जा कर अनाधिकृत आराजी में प्रवेश कर 15 फिट उत्तर से दक्षिण चौड़ाई पर नाजायज कब्जा कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी ने थाना नाई में भी दिनांक 20—02—1998 को एफ.आई.आर. दर्ज करायी, जिसका प्रकरण संख्या 54/98 है। निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा हटाया जाकर वादी को इस आयश की निषेधाज्ञा दिलायी जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करें तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात का रकबा दौराने पैमाईश गलत दर्ज कर दिया गया है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दोष पूर्ण होने से कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 गलत दर्ज है, कमला नाम की कोई औरत नहीं है ऐसी स्थिति में वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 18—02—1998 को जबरन कब्जा किये जाने का कथन गलत है, बल्कि प्रतिवादीगण का कदीम से कब्जा है तथा उनकी बाउण्ड्रीवाल बनी होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी ने इससे पूर्व भी दो बार वाद पेश किये जो निरस्त हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमि 50 एयर अधिक दर्ज है, जो कि वादी की आराजी में से गलत दर्ज हो गयी है, उसमें सुधार हेतु भी प्रतिवादी द्वारा अलग से वाद पेश कर दिया गया है। वादग्रस्त भूमि पर

कोई काश्त नहीं की जा रही है तथा इसका उपयोग आवासीय रूप में किया जा रहा है। अतएवं इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य बन्द होने के बाद प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर अपने प्रकरण संख्या 125/2010 में निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 28-06-2010 से वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 176/2010 प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10-07-2012 से अपील स्वीकार कर प्रकरण में उभयपक्षों की पुनः साक्ष्य लेकर एवं बहस सुनकर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायलय को प्रतिप्रेषित किया।

इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेश के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 137/2005 दर्ज किया जाकर तथा प्रकरण में साक्ष्य लेकर अपने निर्णय दिनांक 20-10-2015 से वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14-12-2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री गिरजा शंकर मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की मृत्यु हो जाने से उसका नाम तर्क किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के कायम मुकाम संस्थित किये गये।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं कानून के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की पत्रावली पर यह बात भली-भांति थी कि उक्त विवादित भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की है, जिसमें रेस्पोन्डेन्टगण ने अनाधिकृत प्रवेश किया है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवायी गयी है, इसके बावजूद भी

अधिनस्थ न्यायालय ने वाद साबित नहीं मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात भी कायम की गयी, किन्तु तनकियों का विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध साक्ष्यों का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रकरण में वादी की साक्ष्य लेकर एवं बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, जबकि प्रकरण में दिनांक 09–02–2009 को निम्नानुसार तनकियात कायम की गयी हैं :–

1. आया मौजा सियालपुरा की आराजी नंबर 5880 रकबा 0.0350 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के संयुक्त खातेदारी का है जिसमें वादी के हिस्से में दिनांक 18–02–1998 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 15 फिट उत्तर से दक्षिण चौड़ाई पर नाजायज कब्जा कर लिया व बाउण्ड्रीवाल बनाकर उसमें दरवाजा लगा दिया, जिससे वादी पूर्व से पश्चिम 80 फिट लम्बाई व उत्तर से दक्षिण 15 फिट चौड़ाई का कब्जा उक्त आराजी से वापस लेने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ....वादी
2. आया प्रतिवादी अपनी ही भूमि पर काबिज है। वादी के 50 एयर भूमि सेटलमेन्ट में अधिक दर्ज हो गयी है ? ....प्रतिवादी
3. आया वादी ने पूर्व में भी इस संबंध में दावे किये जो निरस्त किये गये। इसका इस वाद पर क्या असर है ? ....प्रतिवादी
4. आया वादी का वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज योग्य है ? ....प्रतिवादी
5. अनुतोष ?

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों अनुसार तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। किसी भी निर्णय में कायम शुदा तनकियों पर उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना विधिक होता है, तद्नुसार

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10–12–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

चेनराम पिता स्वर्गीय नाथू जी भील, निवासी मोहनपुरा, चीरवा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

खेमा पिता हेमराज जी भील, नि0 मोहनपुरा, चीरवा, तहसील गिर्वा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....**19/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** ....**गिर्वा**.......... मुकाम...............मुवर्खे............**30**..............माह................**03**................**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**16**....माह........**08**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...........**श्री अर्जुन मेनारिया** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री अनुराग शर्मा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**16**......माह.......**08**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।